प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (छ.ग.रा.बी.ए.कृ.वि.नि.लि.) द्वारा दर अनुबंधों के अंतिमीकरण तथा सामग्रियों के क्रय पर निष्पादन लेखापरीक्षा, छत्तीसगढ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड (छ.ग.पु.हा.नि.लि.) के द्वारा करायी जा रही निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों की लेखापरीक्षा तथा चार पीएसयूज की अनुपालन लेखापरीक्षा पर आधारित तीन लेखापरीक्षा कंडिकाओं के परिणामों को सम्मिलित करता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 तथा 143 के प्रावधानों के अंतर्गत 22 सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती हैं। कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) के द्वारा प्रमाणित लेखों की पूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है और वह सांविधिक अंकेक्षकों के प्रतिवेदनों पर अपनी टिप्पणी देते हैं या सांविधिक अंकेक्षकों के प्रतिवेदनों को अनुपूरित करते हैं।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) तथा राज्य वेयरहाऊसिंग कॉर्पोरेशन अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अंतर्गत सीएजी छत्तीसगढ़ राज्य वेयरहाऊसिंग कॉर्पोरेशन, एक सांविधिक निगम, की लेखापरीक्षा संपादित करता हैं। यह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई निगम के लेखों की लेखापरीक्षा के अतिरिक्त होती हैं।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19–अ के प्रावधानों के अंतर्गत सरकारी कम्पनी या निगम के लेखों से संबंधित प्रतिवेदन सीएजी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु शासन को दिये जाते हैं।

इस प्रतिवेदन के मुख्यांश नीचे दिये गये हैं:

1. छत्तीसगढ़ में 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) में से, 20 कार्यशील तथा तीन अकार्यशील हैं। इन 23 पीएसयूज में से 13 के लेखे 2012–13 की अवधि तक से बकाया थे। कम्पनी अधिनियम के उल्लंघन के अतिरिक्त, लेखों को बनाने में विलंब/न बनाने के कारण तथ्यों के गलत प्रस्तुतिकरण, गबन व दुरूपयोग की संभावना का भय बना रहता है।

2. विगत तीन वर्षों में लेखे अंतिमीकृत करने वाले 20 पीएसयूज ने 8.17 प्रतिशत की औसत ऋण की लागत के विरूद्ध औसत 3.52 प्रतिशत निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) अर्जित किया जिसके परिणामस्वरूप सरकार को विगत तीन वर्षों में ही ₹ 324.21 करोड़ की सांकेतिक हानि हुई। बाकी तीन पीएसयूज जिनके लेखें अंतिमीकृत होने शेष हैं, की हानि का आकलन नहीं किया जा सकता।

3. वर्ष 2016–17 के दौरान, राज्य सरकार ने दो कार्यशील पीएसयूज को ₹ 156.46 करोड़ की बजटीय सहायता दी, बावजूद इस तथ्य के कि इन पीएसयूज ने विगत चार से पाँच वर्षों से अपने लेखें अंतिमीकृत नहीं किये हैं। अतः यह स्पष्ट नहीं है कि राज्य सरकार ने इन पीएसयूज को किस आधार पर बजटीय सहायता दी।

4. राज्य सरकार ने राज्य के पीएसयूज के लिये कोई भी लाभांश नीति नहीं बनाई हैं। फलस्वरूप, यद्यपि नौ पीएसयूज ने, अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, ₹ 6,146.97 करोड़ की सरकारी इक्विटी के साथ समग्र रूप से ₹ 74.43 करोड़ का लाभ अर्जित किया परंतु मात्र एक पीएसयू, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड ने ही ₹ 0.87 करोड़ का लाभांश प्रस्तावित किया।

5. वर्ष के दौरान, सांविधिक अंकेक्षकों ने 16 कार्यशील कम्पनियों के अंतिमीकृत 20 लेखों के लिये दोषयुक्त प्रमाणपत्र दिये। कम्पनियों द्वारा लेखा मानकों का अनुपालन खराब रहा क्योंकि, उक्त के संबंध में आठ कम्पनियों के नौ लेखों में गैर–अनुपालन के 15 मामले पाये गये।

6. पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य के पुनर्गठन के 17 वर्षों के बाद भी, राज्य सरकार छः पीएसयूज, जिनमें ₹ 36.98 करोड़ की अंशपूंजी एवं ऋण था, की संपत्तियों एवं दायित्वों का विभाजन उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश राज्य के मध्य पूर्ण नहीं कर पाई।

7. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के अंतर्गत परिचालन निष्पादन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकीं।

8. छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा दर अनुबंधों के अंतिमीकरण एवं सामग्रियों के क्रय पर निष्पादन लेखापरीक्षा की गयी जिसमें कम्पनी द्वारा किये गये 70 दर अनुबंधों एवं ₹ 1,369.26 करोड़ मूल्य की सामग्री के क्रय को शामिल किया गया। कम्पनी में मानव संसाधन की कमी जो कि 42 प्रतिशत से 53 प्रतिशत तक थी, ने कम्पनी के निष्पादन को विपरीत रूप से प्रभावित किया। कम्पनी में प्रभावशील आंतरिक नियंत्रण तथा निगरानी तंत्र की कमी के कारण वित्तीय प्रबंधन, दर अनुबंधों के अंतिमीकरण तथा सामग्रियों के क्रय में कमियाँ पाई गई।

9. छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की निर्माण गतिविधियों की लेखापरीक्षा में ₹ 178.85 करोड़ मूल्य के 86 ठेका कार्य शामिल किये गये। कम्पनी में मानव संसाधन की कमी और प्रभावशील आंतरिक नियंत्रण तथा निगरानी तंत्र की कमी के कारण कार्य के अवार्ड तथा क्रियान्वयन में कमियाँ एवं पूर्ण होने में विलंब पाया गया।

10. लेखापरीक्षा में पाया गया कि, अपने मार्जिन में से अतिरिक्त आबकारी शुल्क के भुगतान के कारण ₹ 8.53 करोड़ की हानि, आयकर अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न होने के कारण ₹ 1.17 करोड़ के दाण्डिक ब्याज का परिहार्य भुगतान तथा ऑटो स्वीप सुविधा न लेने के कारण ₹ 1.90 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

लेखापरीक्षा, सीएजी द्वारा जारी किये गये लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षा मानकों का अनुपालन करते हुए की गई।